

भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

23.07.2025 के

अतारांकित प्रश्न सं. 512 का उत्तर

शोरनूर मंगलूर रेलवे लाइन

512. श्री शफी परम्बिलः

श्री एम. के. राघवनः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का विचार त्रिवेंद्रम और पलक्कड़ मंडल, विशेषकर दक्षिण रेलवे के शोरनूर के अंतर्गत त्रिवेंद्रम और मंगलूर खंड के बीच तीसरी और चौथी रेलवे लाइन स्थापित करने का है;
- (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और समय-सीमा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या सरकार केरल में रेल अवसंरचना की अपर्याप्तता से अवगत है, जो उत्तरी केरल में यात्रियों की बढ़ती मांगों को पूरा करने में असमर्थ है;
- (घ) यदि हाँ, तो परियोजना आरंभ करने की संभावित तिथियाँ क्या हैं;
- (ङ) क्या सरकार केरल में नमो भारत रैपिड रेल सेवा आरंभ करने की योजना बना रही है; और
- (च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (च): भारत सरकार केरल में रेल नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए तत्परता से कार्य कर रही है। केरल से गुज़रने वाले रेल नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए, निम्नलिखित सर्वेक्षणों को स्वीकृत किया गया है:

| क्र. सं. | रेलमार्ग                          | लंबाई        |
|----------|-----------------------------------|--------------|
| 1        | मंगलुरु-शोरणूर तीसरी और चौथी लाइन | 308 किलोमीटर |

|   |                                    |              |
|---|------------------------------------|--------------|
| 2 | षोरणूर-कोयंबटूर तीसरी और चौथी लाइन | 99 किलोमीटर  |
| 3 | षोरणूर-एरणाकुलम तीसरी लाइन         | 107 किलोमीटर |
| 4 | एरणाकुलम-कायनकुलम तीसरी लाइन       | 115 किलोमीटर |
| 5 | कायनकुलम-तिरुवनंतपुरम तीसरी लाइन   | 105 किलोमीटर |
| 6 | तिरुवनंतपुरम-नागरकोविल तीसरी लाइन  | 71 किलोमीटर  |

रेल परियोजनाओं का सर्वेक्षण/मंजूरी/निष्पादन क्षेत्रीय रेलवे-वार किया जाता है, न कि राज्य-वार/केंद्र शासित प्रदेश-वार/ज़िला-वार क्योंकि रेल परियोजनाएँ राज्य/केंद्र शासित प्रदेश/ज़िलों की सीमाओं के आर-पार फैली हो सकती हैं। रेल परियोजनाओं को लाभप्रदता, यातायात अनुमानों, अंतिम छोर संपर्कता, मिसिंग लिंक और वैकल्पिक मार्गों, संकुलित/संतृप्त लाइनों का संवर्धन, राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों, संसद सदस्यों, अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई मांगों, रेलवे की अपनी परिचालनिक आवश्यकताओं, सामाजिक-आर्थिक महत्वों आदि के आधार पर स्वीकृत किया जाता है जो चालू परियोजनाओं के थ्रो-फॉर्वर्ड और निधियों की समग्र उपलब्धता पर निर्भर करता है।

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार किए जाने के पश्चात, परियोजना की मंजूरी के लिए राज्य सरकारों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श और नीति आयोग, वित्त मंत्रालय आदि से आवश्यक मूल्यांकनों जैसे आवश्यक अनुमोदनों की आवश्यकता होती है। चूंकि, परियोजनाओं की मंजूरी प्रदान करना सतत एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अतः सटीक समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

दिनांक 01.04.2025 की स्थिति के अनुसार, केरल राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली 266 किलोमीटर की कुल लंबाई की 06 परियोजनाएं (02 नई लाइनें और 04 दोहरीकरण), जिनकी लागत 9,415 करोड़ रुपए है, योजना और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं जिनमें से 26 किलोमीटर लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च, 2025 तक 3,250 करोड़ रुपए का व्यय किया जा चुका है। इसका सारांश निम्नानुसार है:-

| कोटि                       | परियोजना<br>ओं की<br>संख्या | कुल लंबाई<br>(कि.मी. में) | कमीशन की गई <sup>1</sup><br>लंबाई (कि.मी.<br>में) | मार्च 2025 तक किया गया<br>व्यय (करोड़ रु. में) |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---|--|
| नई लाइन                    | 2                           | 146                       | 0   | 309  |
| दोहरीकरण/मल्टी<br>ट्रैकिंग | 4                           | 120                       | 26  | 2,941  |
| कुल                        | 6                           | 266                       | 26  | 3,250  |

केरल राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली महत्वपूर्ण अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं का निष्पादन भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्य में हुए विलंब के कारण रुका हुआ है। केरल राज्य में भूमि अधिग्रहण की स्थिति इस प्रकार है:

|  |                    |
|--|--------------------|
| केरल राज्य में परियोजनाओं के लिए अपेक्षित कुल भूमि | 476 हेक्टेयर       |
| अधिगृहीत की गई भूमि                                | 73 हेक्टेयर (15%)  |
| अधिगृहीत की जाने वाली शेष भूमि                     | 403 हेक्टेयर (85%) |

भारत सरकार परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए पूरी तरह से तैयार है, बहरहाल सफलता केरल सरकार के सहयोग पर निर्भर करती है। रेलवे ने केरल सरकार को भूमि अधिग्रहण के लिए 2112 करोड़ रुपए जमा कर दिए हैं। भूमि अधिग्रहण कार्य में तेजी लाने के लिए केरल सरकार के सहयोग की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, भूमि अधिग्रहण के कारण विलंबित कुछ प्रमुख परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

| क्र.सं. | परियोजना का नाम                                 | अपेक्षित कुल भूमि (हेक्टेयर में) | अधिगृहीत की गई भूमि (हेक्टेयर में) | अधिगृहीत की जाने वाली शेष भूमि (हेक्टेयर में) |
|---------|---|----------------------------------|------------------------------------|---|
| 1.      | अंगमाली-सबरीमाला नई लाइन (111 किलोमीटर)         | 416                              | 24                                 | 392   |
| 2.      | एर्णाकुलम-कुम्बलम खंड दोहरीकरण (8 किमी)         | 4                                | 3                                  | 1   |
| 3.      | कुम्बलम-तुरावुर कहीं-कहीं दोहरीकरण (16 किमी)    | 10                               | 9                                  | 1   |
| 4.      | तिरुवनंतपुरम-कन्याकुमारी दोहरीकरण (87 किलोमीटर) | 41                               | 36                                 | 5   |
| 5.      | षोरणूर-वल्लतोल दोहरीकरण (10 किमी)               | 5                                | 0                                  | 5   |

रेलवे नेटवर्क राज्य की सीमाओं के आर-पार फैला हुआ है। तदनुसार, नेटवर्क की आवश्यकता के अनुसार इन सीमाओं के आर-पार गाड़ियां चलाई जाती हैं। वर्तमान में,

भारतीय रेल नेटवर्क को सेवा मुहैया करा रही 4 नमो भारत रैपिड रेल गाड़ी सेवाएँ परिचालित की जा रही हैं। इसके अलावा, वर्ष 2022-23 और 2024-25 (जून, 2025 तक) की अवधि के दौरान, केरल राज्य में स्थित विभिन्न स्टेशनों पर 4 वंदे भारत गाड़ी सेवाओं (आरंभिक स्थान/गंतव्य स्थान के आधार पर) सहित 10 नई गाड़ी सेवाएँ शुरू की गई हैं। इसके अलावा, भारतीय रेल पर नमो भारत रैपिड रेल गाड़ी सेवा सहित रेल गाड़ी सेवाओं को शुरू करना सतत प्रक्रिया है, जो यातायात औचित्य, परिचालनिक व्यवहार्यता, संसाधनों की उपलब्धता आदि के अध्यधीन है।

\*\*\*\*\*